

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 14(7)चिस्वा/2/2016पार्ट

जयपुर, दिनांक : - १७/११/१८

परिपत्र

औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यप्रणाली/कार्यव्यवस्था के पुनरावलोकन हेतु अति. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.18 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के मध्यनजर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)चिस्वा/2/15 दिनांक 17.03.15 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-


1. नये औषधि अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु निरीक्षण का कार्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ही किया जावेगा तथा औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही लाईसेन्सिंग अथॉरिटी द्वारा लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।
2. शिकायत प्राप्त होने या किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही आवेदित स्थान का सहायक औषधि नियंत्रकों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

उक्त दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. निदेशक(जनस्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. औषधि नियंत्रक-प्रथम/द्वितीय, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
7. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव